उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-125/2019/1906 /92-2-19-34जॉच/2017

लखनऊ:: दिनांक 18 सितम्बर, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद बुलंदशहर के ग्राम डिबाई में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत नगरपालिका एवं विकास खण्ड स्तर पर कराये गये इण्टरलांकिग कार्य के प्राक्कलन गलत ढंग से सवीकृत करने, डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप टी0ए0सी0 की जांच आख्या दिनाक 20-11-2018 में परिलक्षित शासकीय क्षति हेतु उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-42/2019/499/92-2-19-34जांच/2017 दि0 26-02-2019 द्वारा श्री जव्वार हुसैन, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता(प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। इसी मध्य अपचारी अधिकारी श्री जव्वार हुसैन तत्का0 अधिशासी अभियंता अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31-07-2019 को सेवानिवृत्त हो गये है।

2- अतएव अपचारी अधिकारी, श्री जव्वार हुसैन के विरूद्व उक्त नियमावली के नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-125 /2019/1906(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता(प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- श्री जव्वार हुसैन, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर समप्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता,(स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0 के0 सिंह)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in